रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 699] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 2017/श्रावण 26, 1939
No. 699] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 2017/ SRAVANA 26, 1939

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 1022(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 32 के साथ पठित धारा 6 की उपधारा (7) और उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और अंशकालिक सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और अंशकालिक सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। ।

2. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और अंशकालिक सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें नियम, 2000 में, नियम 13 के उप नियम (1) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात:-

"परन्तु अध्यक्ष को प्रतिमास एक लाख रुपए की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए मास में उन दिनों के लिए जब उससे प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में उसके कृत्यों के निर्वहन में किसी शासकीय कार्य या कर्तव्य को निष्पादित करने की अपेक्षा हो, जिसके अंतर्गत प्रसार भारती बोर्ड और उनकी समितियों की बैठकों में भाग लेना है, दस हजार रुपए प्रतिदिन के भत्ते का संदाय किया जाएगा:

परंतु यह और कि प्रसार भारती बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए कोई पृथक भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा ।"

[फा. सं. ए-50013/24/2015-बीएपी]

अंजु निगम, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 863(अ), तारीख 10 नवंबर, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चातवर्ती संशोधन सं. सा.का.नि. 126(अ), तारीख 1 मार्च, 2006, सं. सा.का.नि. 464(अ), तारीख 20 जून, 2012, सं. सा.का.नि. 884(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2012, सं. सा.का.नि. 167(अ), तारीख 11 मार्च, 2013 और सं. सा.का.नि. 461(अ), तारीख 5 जून, 2015 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2017

G.S.R. 1022(E).—In exercise of the powers conferred by section 32 read with sub-sections (7) and (8) of section 6 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairman, Whole-time Members and Part-time Members Rules, 2000, namely:-

1. (1) These rules may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairman, Whole-time Members and Part-time Members (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairman, Whole-time Members and Part-time Members Rules, 2000, in rule 13, in sub-rule (1), for the proviso the following provisos shall be substituted, namely:-

"Provided that the Chairman shall be paid an allowance of ten thousand rupees per day subject to a maximum amount of one lakh rupees per month, for those days in the month when he is required to perform any official work or duty in the discharge of his functions as Chairman of Prasar Bharati, including attending meetings of the Prasar Bharati Board and its committees:

Provided further that no allowance shall be admissible separately for attending the meetings of the Prasar Bharati Board and its committees.".

[F. No. A-50013/24/2015-BAP]

ANJU NIGAM, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 863(E), dated the 10th November, 2000 and was subsequently amended by number G.S.R. 126(E), dated the 1st March, 2006, number G.S.R. 464(E), dated the 20th June, 2012, number G.S.R. 884(E), dated the 7th December, 2012, number G.S.R. 167(E), dated the 11th March, 2013 and number G.S.R. 461(E), dated 5th June, 2015.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.08.19 17:07:05 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.